न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 20/2020 नामान्तरकरण अपील

1. श्रवण पुत्र खूबा जाति मीना निवासी ग्राम जोदया तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. नन्दा पुत्र रामधन
2. लालचन्द पुत्र रामधन
3. हरला पुत्र रामधन
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम जोदया तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 20 दिनांक 06.07.1961 तहसीलदार सिकराय)

उपस्थिति :– 1 :श्री चरणसिंह डोई अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित ।
2: पैरोकार सरकार उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–: निर्णय :–

दिनांकः 06.01.2021

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम अम्बाडी तहसील सिकराय में साबिक खसरा नम्बर 176 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि कृषि भूमि पट्टी काश्तकारान थी। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर 287 रकबा 0.66 है. बना दिये। वर्तमान में उक्त भूमि का 1/4 हिस्सा अपीलान्ट के नाम व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा. 3 के नाम 3/16 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि पर कब्जे के अनुसार 1/2 हिस्सा पर रामफूल पुत्र जीवन जाति मीना निवासी जोदया कृषि कार्य करता चला आ रहा है तथा 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट काबिज होकर कृषि कार्य कर लाभान्वित होता चला आ रहा है। एकीकरण के समय पट्टा काश्तकारान भूमि पर काबिज कृषि कार्य करने वालो को राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाकर नामा. सं. 20 दिनांक 06.07.1961 तहसीलदार सिकराय के द्वारा भरा गया। जिसमे उक्त कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 176 में 1/2 हिस्सा रामफूल पुत्र जीवन तथा 1/2 हिस्से में अपीलान्ट श्रवण पुत्र खूबा व अपीलान्ट के साथ एक और नाम तथाकथित रामधन का जोड दिया गया। जिससे अपीलान्ट का हिस्सा

1/4 हो गया एवं तथाकथित रामधन का हिस्सा गलत रूप से 1/4 दर्ज हो गया। जबकि उक्त नामा. में अपीलान्ट का हिस्सा 1/2 होना चाहिए था। रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 3 के पिता रामधन ने मिलीभगत करके अपना नाम दर्ज करवा लिया, इसलिये तहसीलदार सिकराय द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 06.07.1961 को निरस्त करवाने एवं अपीलान्ट का उक्त कृषि भूमि साबिक खसरा नं. 176 के हाल खसरा नं. 287 रकबा 0.66 है. में से 1/2 हिस्से पर नामान्तरकरण खोले जाने हेतु अपील अपीलान्ट प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल नामा. अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। बहस अधिवक्ता अपीलान्ट व पैरोकार सरकार सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि नामा. संख्या 20 दिनांक 06.07.1961 तहसीलदार सिकराय के द्वारा भरा गया उसमें उक्त कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 176 में 1/2 हिस्सा रामफूल पुत्र जीवन तथा 1/2 हिस्से में श्रवण पुत्र खूबा व अपीलान्ट के साथ एक और नाम तथाकथित रामधन का जोड दिया जिससे अपीलान्ट का हिस्सा 1/2 में से 1/2 अर्थात 1/4 हो गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 3 के पिता रामधन ने राजस्व कर्मचारियों से सांठगांठ व मिलीभगत करके अपना नाम दर्ज करवा लिया। रामधन का उक्त कृषि भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है ना ही उसने कभी उक्त कृषि भूमि पर काश्त की है तथा ना ही कभी कृषक रहा है। उक्त कृषि भूमि पर पूर्व से लेकर आज तक 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है आज भी अपीलान्ट का उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर कब्जा है। उक्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार रामफूल पुत्र जीवन ने अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा जरिये विक्रय पत्र मूलचन्द पुत्र खूबा को विक्रय कर दिया वर्तमान में उक्त कृषि भूमि में राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके पर 1/2 हिस्सा मूलचन्द के वारिसानो के नाम दर्ज है। वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट का प्रारम्भ से कब्जा चला आ रहा है। नामान्तरकरण खोले जाते समय बिना कब्जे की जांच किये बिना एवं बिना नोटिस जारी किये बिना नामान्तरकरण खोले जाने में कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार सिकराय द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 06.07.1961 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का उक्त कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 176 के हाल खसरा नम्बर 287 रकबा 0.66 है. में 1/2 हिस्से पर नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश प्रदान करे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस में पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि नामा. संख्या 20 दिनांक 06.07.1961 को खुले हुए लगभग 59 वर्ष हो गये है। अगर अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण के सम्बन्ध में कोई उज्र था तो पहले भी उक्त नामान्तरकरण के खिलाफ उज्र करना चाहिए था। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा अपील लगभग 59 वर्ष बाद प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम चलने योग्य नहीं है। नामा. एक फिस्कल प्रोसिडिंग है। अधिकार तो वाद से तय होते है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते है।

<u>प्र. सं.: 20/2020 नामा. अपील</u>

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार सिकराय द्वारा खोला गया नामान्तरकरण सं. 20 दिनांक 06.07.1961 ग्राम अम्बाडी तहसील सिकराय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा